हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

द्वितीय सत्र

वीरवार, 15 मार्च, 2018/24 फाल्गुन, 1939(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) **तारांकित :**

   दिन के लिए — पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2) **अतारांकित:**

   दिन के लिए — पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

   श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

   (i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:का0(प्रशि0)ए(3)-1/2017 दिनांक 10.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 5.01.2018 को प्रकाशित; और

   (ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सहबद्ध सेवा/पद (वर्ग-III, अराजपत्रित) परीक्षा नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:पीईआर(एपी)-सी-ए(3)-2/2017 दिनांक 29.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11.10.2017 को प्रकाशित ।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2017-18),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-

(i) समिति का **प्रथम मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (सिविल/राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा **योजना विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **द्वितीय मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (सिविल/राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा **आयुर्वेद विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का **तृतीय मूल प्रतिवेदन**(तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (सिविल/राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा **योजना विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्री रमेश चन्द ध्वाला, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2017-18),** समिति का **द्वितीय कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 25वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(3) **श्री सुख राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2017-18),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(i) समिति का **चतुर्थ कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 32वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **जनजातीय विकास विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **पंचम कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 33वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का **षष्टम कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 25वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है ।

(4) **श्री सुरेश कुमार कश्यप,सभापति, सामान्य विकास समिति,(वर्ष 2017-18),** समिति का **प्रथम मूल प्रतिवेदन** जोकि **परिवहन विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(5) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2017-18),** समिति का **प्रथम मूल प्रतिवेदन** जोकि **उद्यान विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

4. <u>वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए बजट अनुमान</u>:-

सामान्य चर्चा ।

शिमला-171 004 — सुन्दर सिंह वर्मा,
दिनांक: 14 मार्च, 2018 — सचिव ।

******

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)